न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
25.8.25	सूरज बनाम धनरसी मु0नं0 08/2024 प्रतिवादी नं0 8 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश किया। उक्त उनवानी वादपत्र की प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2023 एवं दिनांक 09.02.2024 को फाईनल डिक्री किया गया है। उनवानी वादपत्र के प्रतिवादी नं0 8 मुरारी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नही थी ना ही प्रतिवादी नं0 8 मुरारी को उक्त वादपत्र के नोटिस प्राप्त हुये है तथा प्रतिवादी नं0 8 मुरारी को कोई भी जानकारी नहीं थी। उक्त उनवानी प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2024 को पारित हुये है उसमें प्रतिवादी नं0 8 मुरारी खसरा नम्बर 99, 101, 104 दिये गये है जबकि मुरारी के कब्जेशुदा भूमि को किसी अन्य खातेदार को बंटवारे में दिया गया है। उक्त निर्णय एवं कानून मन सुख फरमाया जोव एवं दिनांक 09.02.2024 डिक्री को अपारस्त किया जावे। उनवानी दावा सूरज बनाम धनसी मु0नं0 141 ता रजू दिनांक 18.08.2022 को न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसमें समस्त पक्षकारान को नोटिस से तलब किया गया। दिनांक 06.09.2022 को प्रतिवादी नं0 3, 4, 6, 7, 8 के नोटिस स्वंय एवं परिवारजनों से होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बार–बार आवाज दिलाई गई, इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुये इसलिये उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया। बावजूद सूचना के कोई भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.01.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील की उपस्थित, वादी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं जमाबन्दी का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल जमाबन्दी अनुसार सभी खातेदार प्रतिवादीगण शेष हिस्से में खातेदार काश्तकार है वादी वकील द्वारा किये गये कथन अनुसार वादी का वाद मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा व कब्जे काश्त अनुसार दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम के बंटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी वकील ने बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया मुताबिक जमाबन्दी एवं कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा स्कीम सही है। वादी वकील की बहस पर मनन किया गया पत्रावली में शामिल बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया। बंटवारा स्कीम प्राथमिक डिक्री एवं कब्जा रिकार्ड के आधार पर पेश की है। इसलिये वादी का वादपत्र फाईनल डिक्री किया गया। प्रार्थीगण (प्रतिवादी नं0 8 मुरारी) के विरूद्ध दिनांक 11.10.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गई वही प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.01.2023 को एवं फाईनल डिक्री दिनांक 09.02.2024 को की गई। इस बीच पर्याप्त समय व्यतीत, प्रार्थी/प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर था। वहीं प्रार्थी की तामील सीपीसी के नियमों के अनुसार सम्यक रूप से हुई। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अन्य सभी पक्षकारानों के हितों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में गुणावगुण के आधार पर आदेश 9 नियम 13 खारिज की जाती है। इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Pooja Meena Date: 2025.10.27 14:44:56 IST Reason: SelfAttested	